

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

१

क्रमांक / वित्त / आडिट / अ / 2016/४९

भोपाल, दिनांक 20-04-16

प्रति,

समस्त संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण संभाग मध्यप्रदेश।

2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।

विषय:- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवर्गों को अवकाश सुविधा।

संदर्भ:- म०प्र० शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-२/२००६/नियम / चार दिनांक 13 अगस्त 2008.

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 419/2008/नियम/चार, दिनांक 16 जून 2008 में द्वारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संवर्गों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता अन्य विभागों के कर्मचारियों के समान दी गई है।

म०प्र० शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ-२/२००६/नियम/चार दिनांक 13 अगस्त 2008 में द्वारा उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किये जाने के प्रशासकीय अधिकार को निम्नानुसार निर्धारित किया है।

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| 1— संबंधित कलेक्टर | — | एक वर्ष में अधिकतम 15 दिवस |
| 2— विभागाध्यक्ष | — | एक वर्ष में अधिकतम 30 दिवस |

उपरोक्त निर्देशों के विपरीत संकुल प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने रत्तर से विश्रामावकाश की अवधि में शैक्षणिक संवर्ग के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहूत किया जाकर आनुपातिक रूप से अर्जित अवकाश सुरक्षित किया जा रहा है, जिसके आधार पर पात्रता से अधिक अर्जित अवकाश समर्पण का लाभ प्रदान किया जा रहा है जिससे शासन पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है।

भविष्य में शासनादेशों के अधीन समर्पण का लाभ न होने पर अनियमितता के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जावेगी।

अतः वित्त विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण संचालनालय म०प्र०

पृष्ठांकन क्रमांक / वित्त / आडिट / अ / 2016 /

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, स्थापना-1, 2, 3, 4 की ओर सूचनार्थी
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण संचालनालय म०प्र०

(2)

१

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

बल्लभ भवन-मंत्रालय

क्रमांक: ५१३ १२०८८/वित्त/पर
प्रति,

भांपाल, दिनांक १६ जूलाई, २०००

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्रालियर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कमिशनर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय- विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संवगों को अवकाश सुविधा।

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-ए-१/१३/७७.८-१/चार, दिनांक 16-९-१९८० के द्वारा शासन शासन ने अपने कमचारियों को सेवानिवृत्ति के रामय उनके खाते में जमा अंजित अवकाश को नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसकी अधिकतम सीमा 240 दिन है। विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवगों जिन्हें विश्रामावकाश अवधि में छूटों पर युलाये जाने के फलस्वरूप ब्लाक छूट के बदले देय अंजित अवकाश को उपलब्धिति के समय नगदीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन था। उपरोक्त के संबंध में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :

- (1) अंजित अवकाश की गणना के प्रयोजन हेतु विश्रामावकाश की अवधि 45 दिन निर्धारित की जाती है। छूटों पर रहने से विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में अंजित अवकाश की पावता, 30 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन उतने दिन की ही हो जिन्हें दिन छूटों पर रहने से विश्रामावकाश का लाभ नहीं लिया जा सका। यदि अन्य कारणों से अतिरिक्त विश्रामावकाश की सुविधा देय है तो वह अंजित अवकाश की पावता पे प्रयोग्य हन्तु गणना में नहीं ली जायेगी। यह व्यवस्था दिनांक १-१-२००८ से लागू की जाती है।
- (2) दिनांक १-१-२००८ से पूर्व में प्रकरणों में अंजित अवकाश की स्वीकार्यता मध्यप्रदेश लिविल सेवा (अवकाश) नियम १९७७ के दिनांक १-१-२००८ के पूर्व प्रभावशील नियम २७ (२) के अनुसार होगी अथात ऐसे शासनीय कमचारी जिसे सम्पूर्ण विश्रामावकाश का लाभ उठाने से वंचित कर दिया गया है, स्वीकार्य अंजित अवकाश 30 दिन के अंजित अवकाश का वह अनुपात होगा जो उपभोग न किए गए विश्रामावकाश के दिनों तथा सम्पूर्ण विश्रामावकाश के दिनों में से होगा। यदि किसी वर्ष विश्रामावकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है तो उसके एक वर्ष के लिए नियम २५ के प्रावधानों के अनुसार अंजित अवकाश स्वीकार्य होगा।
- (3) विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संवगों को विश्रामावकाश का लाभ लेने से वंचित होने की स्थिति में उनके खाते में जमा अंजित अवकाश के नगदीकरण की पावता अन्य विभागों के कमचारियों के समान दी जाए।

PTO

ज्ञापन (प्रिंटर)
(दस्तावेज़)
(नियम शासन)

(3)

- (4) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शोधांगक संबंधों को 10 दिन का अतिरिक्त अर्जित अवकाश दिये जाने संबंधी आदेश क्रमांक एफ-44-32/वी-2/वीस/97, दिनांक 27 फरवरी 1998 भूतलक्षी प्रभाव से निरस्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के उक्त आदेश दिनांक 27 फरवरी 1998 के निरस्त होने के फलस्वरूप रोगारत रिहाइमें दो अवकाश छुटों में आवश्यक सुधार किया जाए। दिनांक 1-1-2008 के पूर्व संवादान्वृत्त हो चुके शिक्षदातों के अवकाश गवाते पुनः न बोले जाएं, भले ही उनके स्वतंत्रों का निराकरण दिनांक 1-1-2008 के पश्चात किया गया / जाना हो।
- (5) शैक्षणिक संबंधों को विश्रामावकाश से वंचित किए जाने के बदले प्राप्त होने वाले अवकाश का स्वेच्छा अर्जित अवकाश के लेखे की तरह ही रखा जाये।
- (6) शैक्षणिक संबंधों को मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1642/4106/नि-1/82/चार, दिनांक 17-12-1982 के अनुसार द्वाक अवकाश के अतिरिक्त प्राप्त 10 दिन प्रतिवर्ष के अवकाश का लेखा लघुकृत अवकाश के अवकाश के रूप में ही संधारित किया जाय तथा इस लघुकृत अवकाश के नारीकरण की प्राप्ति किसी भी जन्मदारी को नहीं होने में इसके नारीकरण की सुविधा शैक्षणिक संबंधों को भी उपत्त्य नहीं हांगा।

2/ मध्य प्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम 1977 के सुनांगत नियमों में यथाआवश्यक संस्थाएँ वो कार्यवाही पृथक से की जायेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा अमृदेशानुसार
न्यायालय
(ए.पा. एवं वात्तव)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

W

पृष्ठा.नं.मात्रा : 420 /2008/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 16 जून, 2008


(10)

(6)

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निदंप्तक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. एचस्ट्रोट, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल / जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
11. महाधिकारी / उप महाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर।
12. एचस्ट्रोट (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / शास्त्रीय मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
14. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
15. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल
16. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर मंत्रालय, भोपाल
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं परान मध्यप्रदेश।
18. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
19. संघक संचालक, जनसंपर्क एकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
20. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त भान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
22. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
23. गाड़ फाईल

दी ओर सूचनांसे एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अप्रेषित।


 (डी.के. सैनी)
 अवर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग


 नृनाथ अधिकारी
 वित्त विभाग
 (नियम शासा)

(5)

पश्चिम प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वृत्तिशील भवन-मंत्रालय-भोपाल

जून/ 2 अगस्त, 2008

नोट इक 6-2/2008/विवरण/चार

1. प्रमुख नायक/सचिव

मध्य प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/

आदिप्रजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/

तकनीकी शिक्षा विभाग/ विकास शिक्षा विभाग/

कृषक कल्याण विभास विभाग।

2. आयुता / रंगालय

उच्च शिक्षा विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/

आदिप्रजाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/

तकनीकी शिक्षा विभाग/ विकास शिक्षा विभाग/

कृषक कल्याण विभास विभाग।

पश्चिमप्रदेश।

3. समस्त कलेक्टर, पर्याप्तदेश।

विश्रामावकाश विभाग में कार्यरत शैक्षणिक संघर्षों को अवकाश सुविधा
क्रिया

पश्चिम प्रदेश शासन, वित्त विभाग के शापन क्रमांक एफ-ए-1/13/77/नि।/चार, दिनांक 16-
५-1980 के हारा राज्य शासन ने अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके खाते में जमा अधिक
प्रतिवारा घे. नगदीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसको अधिकतम भीषण 240 दिन है।

2/ विश्रामावकाश विभाग के शैक्षणिक संघर्षों जिन्हें विश्रामावकाश अधिक में छहठी पर बुलाये जाने
वा फलस्वरूप बनावा हूट के बरले देख अंजित अवकाश को रोतानिवृत्ति के गापय नारीकरण विधि जाने वा
प्रस्ताव शासन के विधाराधीन था। राज्य शासन हारा पूर्ण विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संघर्षों को
119/2008/नियम/चार, दिनांक 16 जून 2008 हारा विश्रामावकाश विभाग में शैक्षणिक संघर्षों को
विश्रामावकाश का लाभ लेने से विविध होने को स्थिति में उनके खाते में जमा अंजित अवकाश के
नारीकरण की पावता अन्य रिपोर्टों वे कार्यालयों के समान दी गई है।

3/ उपर्युक्त सुविधा का उचित उपयोग होना सुनिश्चित करने की दृष्टि से विश्रामावकाश की अवधि
वे शैक्षणिक संघर्षों के कर्मचारियों घो छहठी पर आहूत किए जाने के प्रशासकीय अधिकार को नियमानुसार
नियंत्रित किया जाता है:-

(i) संबंधित कलेक्टर - एवं वर्ष में अधिकतम 15 दिन

(ii) विभागाध्यक्ष - एक वर्ष में अधिकतम 30 दिन

(iii) विभागाध्यक्ष - कर्मचारी को पालन रुनिश्चित कराने का काट थारे।

4/ कृपया उम्युक्त निर्देशों का कठाई से पालन रुनिश्चित कराने का काट थारे।
पश्चिमप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा: आदेशानुसार।

उम्युक्त

(ए पं. शीवास्तव),

सूर्योदय

पश्चिम प्रदेश शासन, वित्त विभाग।

(6)

लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0
 गौतम नगर, भोपाल-462 021
 Gautam nagar, Bhopal-462 021
 दूरभाष 91-755-2583650, फैक्स: 0755-2583651 ई-मेल: opl.m0pr0@gmail.com
 कमांक. स्था-2/एम/ /2011/1563 भोपाल, दिनांक, 14/10/11
 प्रति,

संयुक्त संचालक,
 लोक शिक्षण भोपाल समार, भोपाल
 मध्य प्रदेश।

विषय: ग्रीष्मावाहार में शासकीय कार्य किये जाने के एवज में अंजित अवकाश प्रदान
 किये जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक.3048, दिनांक 28.09.2011.

संदर्भित पत्रान्तर्गत आपने ग्रीष्मावाहार में शासकीय कार्य करने के एवज में अंजित अवकाश प्रदान किये गए थे। इस संबंध में निर्देश चाहे हैं।

उक्त संबंध में मुद्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 410/2008/नियम द्वारा दिनांक 16 जून 2008 के द्वारा इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गए हैं जिसकी प्रति संलग्न है। कृपया इन निर्देशों के तहत प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करें।
 संलग्न:- उक्तानुसार।

(मी) 14.10.2011
 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण म0 प्र0
 भोपाल, दिनांक, 14/10/11

पृष्ठां कमांक. स्था-2/एम/ /2011/1563

प्रतिलिपि:-

- स्टॉफ राफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण (स्थानीय)
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- उप संचालक, समन्वय (स्थानीय)
- सहायक संचालक, स्था-1 (स्थानीय) की ओर टीप कमांक. स्था01/166, दिनांक 04.10.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु;
- सहायक संचालक स्था-3 (स्थानीय)
- ✓ समन्वयक, कम्प्युटर (स्थानीय) की ओर विभागीय पोर्टल पर लोड करने हेतु सूचनार्थ।

(मी) 14.10.2011
 सहायक संचालक
 लोक शिक्षण म0 प्र0

(७)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक: एफ: ६-१ /२०१८/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०६ अगस्त, २०१८

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा २४० दिवस के स्थान पर ३०० दिवस करने बावत्।

.....

म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम २५ के उप नियम (१) में, खण्ड (ग) में, उपर्युक्त विषयक संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक २८ जुलाई, २०१८ संलग्न है।

31/8/2018
(अजय चौबे)

उप सचिव,
म.प्र. शासन, वित्त विभाग



(6)

मध्यप्रदेश राजाधिकार

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 3 अगस्त 2018—ब्राह्मण 12 शत 1940

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरस्कारित विधेयक |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

वित्त विभाग

मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई 2018

क्र. एफ 6-1-2018-नियम-चार.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के पांतक द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 25 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (ग) में, अंक "240" के स्थान पर, अंक "300" स्थापित किया जाए।
2. यह संशोधन, पहली जुलाई 2018 से प्रवृत्त होगा।

No. F 6-1-2018-Rule-IV.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Civil Services (Leave) Rules, 1977, namely—

AMENDMENT

In the said rules, —

1. In rule 25, in sub-rule (1), in clause (c), for the figure 240 in the said clause, there shall be substituted.
2. This amendment shall come into force 01st July, 2018.

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

बल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

(Q)

क्रमांक : एफ 6-1/2018/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 8 मार्च, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कमिशनर
समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना।

- संदर्भ- 1. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 8-1-1991,
2. वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार दिनांक 29-2-1996
3. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक/एफ 6-1/2012/नियम/चार, दिनांक 25-9-2012.
4. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार, दिनांक 28-7-2018.

-••-

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 8-1-1991 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवकाश के नगदीकरण की पात्रता संबंधी गणना की विधि निर्धारित की गई है। इस गणना को क्रमशः परिपत्र दिनांक 29 फरवरी, 1996 एवं दिनांक 25-9-2012 के द्वारा और स्पष्ट किया गया है। इन वर्णित परिपत्रों के अनुसार शासकीय सेवा में नियुक्ति दिनांक से दिनांक 9-3-1987 तक की अवधि के लिए एक वर्ष में 15 दिन तथा दिनांक 9-3-1987 से सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि के लिए एक वर्ष में 07 दिन के आधार पर कुल पात्रता ज्ञात की जानी है। दिनांक 9-3-1987 के पश्चात की संपूर्ण सेवाअवधि के लिए प्रथमतः दो वर्ष के कालखंड पर 15 दिन की दर एवं शेष अवधि के लिए 7 दिन प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की जानी है।

- 2/ वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2018/नियम/चार, दिनांक 28 जुलाई 2018 से म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 को संशोधित करते हुये शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश के संचयन की अधिकतम सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस की गई है।
3/ उपर्युक्त संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2018 के पश्चात सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों /सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 300 दिवस निर्धारित करता है। गणना का उदाहरण संलग्न है।
4/ यह आदेश दिनांक 1-7-2018 से प्रभावशील माना जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनुराग जैन)
प्रमुख सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

गणना का उदाहरण

संक्र.	विवरण (2)	उदाहरण "अ" (3)	उदाहरण "ब" (4)	अध्युक्ति (5)
1.	नियुक्ति दिनांक	10-04-1983	1-8-1982	
2.	सेवानिवृत्ति	31-7-2018	30-11-2019	
3.	नियुक्ति दिनांक से 9-3-1987 तक कुल सेवा	03 वर्ष 10 माह 29 दिन	04 वर्ष 7 माह 9 दिन	
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा	31 वर्ष 04 माह 21 दिन	32 वर्ष 8 माह 21 दिन	
5.	सरल क्रमांक (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	$03 \times 15 = 45$ दिन $1 \times 15 = \frac{15}{60}$ दिन	$04 \times 15 = 60$ दिन $01 \times 15 = \frac{15}{75}$ दिन	
6.	सरल क्रमांक-4 में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन एवं खण्ड वर्ष में 7 दिन की दर से)	$15 \times 15 = 225$ दिन $01 \times 7 = \frac{07}{232}$ दिन	$16 \times 15 = 240$ दिन 240 दिन	

टीप- सरल क्रमांक 3 एवं 4 के संभं 3 में खण्ड माह की अवधियों का योग 12 माह से कम होने पर लाभ नहीं दिया जाएगा। योग 12 माह से अधिक होने पर एक पूर्ण वर्ष माना जाकर निम्नानुसार लाभ दिया जाएगा:-

- सरल क्रमांक 3 के संभं 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 15 दिन गणना में लिये जाएँगे।
- सरल क्रमांक 4 के संभं 3 में खण्ड वर्ष 6 माह से अधिक होने पर 07 दिन गणना में लिये जाएँगे।
- सरल क्रमांक 3 एवं 4 के संभं 3 दोनों में खण्ड वर्ष यदि 06-06 माह से अधिक होने पर 15 दिन गणना में लिया जाएगा।

7.	कुल अंजित अवकाश समर्पण की पात्रता	292 दिन	315 दिन	-
8.	घटाईये - सेवा के दौरान अवकाश समर्पण का लाभ	15 दिन	7	-
9.	सेवानिवृत्ति पर अंजित अवकाश समर्पण की पात्रता अधिकतम 300 दिवस की सीमा	277 दिन	शेष 308 दिन (सीमित 300 दिवस)	अधिकतम 300 दिवस की सीमा

(अजय चौधे)

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

10

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गाड़ फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अर्गेष्टित।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग